अभियंता प्रमुख
भवन निर्माण विभाग **बिहार सरकार**
पथ निर्माण विभाग

संकल्प

विषय :– **अधिकतम 50 करोड़ (25 लाख से अन्यून) तक के लागत वाले राज्याधीन सिविल कार्यों के लिए राज्य स्तरीय संवेदकों को अधिमानता दिये जाने हेतु बिहार लोक निर्माण संहिता में कंडिका–163(A) सम्मिलित करने के संबंध में।**

बिहार राज्य आर्थिक रूप से देश के विकसित राज्यों की तुलना में निर्धारित मानकों से अपेक्षाकृत नीचे है तथा प्रति व्यक्ति आय के मानक पर अपेक्षाकृत काफी नीचे है। राज्य सरकार का यह दायित्व है कि राज्य के निवासियों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान हेतु सार्थक प्रयास किये जायें। अतः भारतीय संविधान के अनुच्छेद 283 (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता के नियम 163 (A) को निम्नरूपेण तुरन्त प्रभाव से सम्मिलित करते हैं –

कंडिका–163(A)

1. वैसे सिविल कार्य जिसकी निविदा राशि, अधिकतम 50 करोड़ है एवं 25 लाख से अन्यून है, में राज्यस्तरीय संवेदक/ निविदाकर्त्ता (यथा परिभाषित कंडिका–8) को अधिमानता दी जायेगी।
2. तकनीकी मूल्यांकन में सफल निविदाकारों का वित्तीय बीड खोलने पर पाये गये न्यूनतम दर दाता को L1 कहा जायेगा। अगर L1 राज्यस्तरीय निविदाकर्त्ता हो तो L1 को कार्य आवंटित किया जायेगा।
3. अगर L1 कोई गैर राज्यस्तरीय निविदाकर्त्ता हो तो राज्यस्तरीय निविदाकर्त्ता में न्यूनतम दर दाता को L1 के दर पर कार्य आवंटित करने के प्रस्ताव पर उनसे (राज्य स्तरीय निविदादाता से) सहमति प्राप्त की जायेगी। सहमति की स्थिति में वैसे राज्यस्तरीय संवेदक को कार्य आवंटित किया जायेगा।
4. एक से अधिक न्यूनतम दर दाता के L1 होने की स्थिति में, यदि एक गैर राज्यस्तरीय संवेदक तथा दूसरा राज्य स्तरीय संवेदक है तो राज्य स्तरीय निविदादाता को कार्य आवंटित किया जाएगा।
5. यदि एक से अधिक राज्य स्तरीय संवेदक का दर समान है परन्तु L1 गैर राज्य स्तरीय संवेदक है, तो वैसे राज्य स्तरीय संवेदकों से L1 के दर पर कार्य करने की सहमति प्राप्त की जायेगी। सहमति प्राप्त संवेदकों के बीच Draw of Lots के आधार पर कार्य आवंटित किया जायेगा।

6. यदि निविदा में कोई राज्य स्तरीय निविदाकर्त्ता भाग नहीं लेता है तो L1 जो गैर राज्य स्तरीय निविदाकर्त्ता है, को पूर्व के प्रावधानानुसार कार्य आवंटित किया जायेगा।

7. उक्त व्यवस्था के अधीन जिस राज्य स्तरीय संवेदक को कार्य आवंटित होगा उन्हें आवश्यक श्रमिकों का कम से कम 75% बिहार के निवासियों को श्रमिक के रूप में रोजगार देना आवश्यक होगा।

8. उक्त कंडिका 1 से 7 के मामले में राज्यस्तरीय संवेदक को निम्नवत् परिभाषित किया जायेगा :–

8(i) बिहार राज्य में निगमित, स्थापित या पंजीकृत कम्पनी के शेयर में कम से कम 51% का स्वामित्व या अधिकार (Shareholding) बिहार के स्थायी निवासी का हो एवं उसके निदेशक मंडल में निदेशकों का बहुमत बिहार के स्थायी निवासी का हो।

8(ii) यदि Shareholding में किसी कम्पनी/ फर्म या Joint Venture का हिस्सेदारी हो उस स्थिति में भी Shareholding कम्पनी/ फर्म या Joint Venture में कम से कम 51% का स्वामित्व बिहार के स्थायी निवासी का होना चाहिए एवं उसके निदेशक मंडल में निदेशकों का बहुमत बिहार के स्थायी निवासी का होना चाहिए।

8(iii) निविदाकर्त्ता यदि साझेदारी फर्म हो तो उसके साझीदार (व्यक्तिगत अथवा समेकित रूप से कम से कम 51% के साझीदार) बिहार के स्थायी निवासी हो एवं जिसका साझेदारी विलेख (Partnership Deed) बिहार राज्य में निष्पादित की गयी हो। यदि साझेदार कोई कम्पनी/ फर्म या Joint Venture हो तो उस कम्पनी/ फर्म या Joint Venture का कम से कम 51% का स्वामित्व बिहार के स्थायी निवासी का होना चाहिए एवं साझेदार कम्पनी के निदेशक मंडल में निदेशकों का बहुमत बिहार के स्थायी निवासी का होना चाहिए।

8(iv) यदि निविदाकर्त्ता Proprietorship Firm/ Individual हो तो Proprietor/ Individual बिहार का स्थायी निवासी हो।

8(v) यदि निविदाकर्त्ता Limited Liability Partnership (LLP) हो तो उसके साझीदार (व्यक्तिगत अथवा समेकित रूप से कम से कम 51% के साझीदार) बिहार के स्थायी निवासी हो एवं LLP बिहार राज्य में निगमित, स्थापित या पंजीकृत होना चाहिए। यदि साझेदार कोई कम्पनी/ फर्म या Joint Venture हो तो उस कम्पनी/ फर्म या Joint Venture का कम से कम 51% स्वामित्व बिहार के स्थायी निवासी का होना चाहिए एवं साझेदार

कम्पनी के निदेशक मंडल में निदेशकों का बहुमत बिहार के स्थायी निवासी का होना चाहिए।

8(vi) संयुक्त उद्यम (Joint Venture) की स्थिति में मुख्य सदस्य (Lead Partner) को बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए एवं उनकी भागीदारी/लाभ साझा करने में न्यूनतम हिस्सेदारी 51% की होनी चाहिए।

8(vii) बिहार का स्थायी निवासी होने के प्रमाण पत्र के रूप में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा।

8(viii) स्थानीय निविदाकर्त्ता के रूप में प्राथमिकता का दावा करने वाले संवेदक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा कि वे स्थानीय निविदाकर्त्ता की अर्हता को पूर्ण करते हैं। यदि इस संबंध में उनके द्वारा दी गयी सूचना गलत पायी जाती है तो बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 के सुसंगत कंडिकाओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

8(ix) विशेष प्रकृति (यथा– Utility Shifting, Building Electrical works, Water supply, Sanitory works इत्यादि) का कार्य नहीं होने के स्थिति में उक्त प्रावधान के अधीन स्थानीय संवेदकों द्वारा आवंटित कार्य के किसी भी अंश का Sub Contracting नहीं किया जायेगा।

9 उक्त कंडिकाओं में निरूपित प्रावधान में परिलक्षित त्रुटि या कठिनाई का परिमार्जन करने तथा उपबन्ध के अनुरूप कार्यान्वयन करने एवं दिशा–निर्देश निर्गत करने हेतु पथ निर्माण विभाग प्राधिकृत होगा।

10 बिहार लोक लेखा संहिता के सुसंगत कंडिका एवं पूर्व से निर्गत संगत पत्र/परिपत्र इस हद तक संशोधित समझा जाय।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए एवं इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाए।

ह0/–
(पंकज कुमार पाल)
सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(5)ई)

ज्ञापांक :– प्र०7 / नियम–01–03 / 2026(खण्ड) पटना, दिनांक –

प्रतिलिपि –महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(पंकज कुमार पाल)
सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– प्र०7 / नियम–01–03 / 2026(खण्ड) पटना, दिनांक –

प्रतिलिपि – अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कर बिहार राजपत्र की 1000 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह0 / –
(पंकज कुमार पाल)
सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– प्र०7 / नियम–01–03 / 2026(खण्ड) 3103(S) पटना, दिनांक – 06/5/26

प्रतिलिपि –सभी अपर मुख्य सचिव / सभी प्रधान सचिव / सभी सचिव / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(पंकज कुमार पाल)
सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

ज्ञापांक– भवन / 12–अभि0प्र0(यो0)–02–विविध–09 / 2026 9559(1) पटना, दिनांक– 8/10/26

प्रतिलिपि–सचिव के प्रधान आप्त सचिव / अभियंता प्रमुख (विद्युत) / सभी मुख्य अभियंता (विद्युत सहित) / निदेशक अनुश्रवण / सभी अधीक्षण अभियंता (विद्युत सहित) / सभी कार्यपालक अभियंता (विद्युत सहित) / आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

07.10.26

अभियंता प्रमुख–सह–
अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव।